रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 1975/फाल्गुन 16, 1896

No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 1975/PHALGUNA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 7th March 1975

G.S.R. 143(E).—In pursuance of rule 96J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 154/74-Central Excises, dated the 30th November, 1974, for the words and figures "Rs. 75.00 per quarter, or Rs. 300.00 per year", the words, and figures "Rs. 100.00 per quarter, or Rs. 400.00 per year" shall be substituted.

[No. 78/75]

N. OBHRAI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1975

सा० का० नि० 143(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 ञ के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 154/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1974 में "75.00 प्रति तिमाही या 300.00 रु० प्रति वर्ष" शब्दों और अंकों के स्थान पर "100.00 रु० प्रति तिमाही या 400.00 रु० प्रति वर्ष" शब्द और अंक रखें जायेंगे ।

[सं० 78/75]

एन० ओबराय, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA, PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975